//कार्यालयः जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर (म0प्र0)//

//परिपत्र//

क्रमांक 22/आपदा प्रबंधन/2020 अलीराजपुर, दिनांक 10/06/2020

कोविड–19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुये इस जिला स्थापना पर मुख्यालय अलीराजपुर एवं तहसील न्यायालय जोबट में पदस्थ समस्त न्यायिक अधिकारीगण को पूर्व में जारी निर्देशों के क्रम में पुनः निर्देशित किया जाता है कि सभी अधिकारी कर्तव्य स्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग (सामाजिक दूरी) के संबंध में पूर्व में दिये गये निर्देशों का पालन करेंगें, मास्क/फेस कव्हर लगाकर ही कर्तव्य पर उपस्थित होंगें तथा न्यायालय में उपस्थित रहने की संपूर्ण अवधि के दौरान मास्क/फेस कव्हर लगाये रखेंगें साथ ही कोविड–19 के संक्रमण से बचाव के संबंध में केन्द्र सरकार/राज्य सरकार एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का पालन करेंगें।

किसी भी न्यायिक अधिकारी में कोरोना वायरस के लक्षण जैसे कि सर्दी, खॉसी, बुखार एवं श्वास लेने में परेशानी प्रतीत होने पर वह इसकी सूचना तत्काल कार्यालय को देगें तथा इस अवस्था में अपने कर्तव्य पर उपस्थित नहीं होंगें, संबंधित अधिकारी उक्त लक्षण छिपाये बिना तत्काल चिकित्सक से अपना परीक्षण कराकर इस संबंध में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कार्यालय को सूचित करेंगें एवं चिकित्सक द्वारा दी गई सलाह का पालन करेंगें।

समस्त न्यायिक अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि पूर्व अनुमति के बिना अवकाश पर प्रस्थान नहीं करेंगें और मुख्यालय नहीं छोड़ेगें।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
अलीराजपुर म.प्र.

पृ0 क्र. 626 / आपदा प्रबंधन / 2020, अलीराजपुर, दिनांक 10/06/2020

प्रतिलिपि :–

1. माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. समस्त न्यायिक अधिकारीगण अलीराजपुर / जोबट की ओर सूचनार्थ।
3. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय अलीराजपुर की ओर समस्त न्यायिक अधिकारीगण को ई–मेल से सूचित किये जाने तथा जिला न्यायालय की वेबसाईड पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।
4. प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संबंधित आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

Vinod Kumar 10.06.2020

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
अलीराजपुर म.प्र.